Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में श्रीगंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड के ऑपरेटर को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये श्रीगंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन के ऑपरेटर योगेश पारीक को परिवादी से 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि श्रीगंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड में बोलेरो कैम्पर गाड़ी लगाने के टेण्डर को पास करने की एवज में योगेश पारीक ऑपरेटर द्वारा सहकारी संध के एमडी के लिये 50 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की हनुमानगढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये योगेश पारीक पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी मेहरवाला, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी 9/27, हाउसिंग बोर्ड, जेल के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन हाल ऑपरेटर श्रीगंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन को परिवादी से 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।